न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, जनपद–भदोही।

उपस्थितः दुर्गेश – उच्चतर न्यायिक सेवा
(J.O.Code–U.P.–1626)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या– 167/2024

UPSN010025322024

केशव शुक्ला आयु 46 वर्ष पुत्र देवबली शुक्ल, निवासी फुलवरिया, थाना कोईरौना, जिला भदोही।

...पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. रविन्दर पाल आयु 41 वर्ष पुत्र खदेरु पाल
3. श्यामबाबू पाल आयु 29 वर्ष ।
4. शिवबाबू पाल आयु 24 वर्ष । पुत्रगण हीरालाल पाल
5. गुलाबधर पाल आयु 66 वर्ष पुत्र स्व. रामअभिलाख पाल
6. राजमनी आयु 66 वर्ष पुत्र स्व. धनपति

समस्त निवासीगण फुलवरिया, थाना कोईरौना, जिला भदोही।

...प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्तागण एवं प्रत्यर्थीगण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–438 के अन्तर्गत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट–द्वितीय, ज्ञानपुर, जनपद भदोही द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या–28232/2023 (केशव शुक्ला बनाम रविन्दर पाल आदि) के प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.08.2024 के विरुद्ध योजित की गयी है।

3. पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता का प्रमुख रुप से अभिकथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दाण्डिक परिवाद संख्या 28232/2023 (केशव शुक्ला बनाम रविन्दर पाल आदि) में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.08.2024 ना केवल तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है, बल्कि विधि विरुद्ध भी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त

तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य का समग्रता पूर्वक मूल्यांकन नहीं किया गया, बल्कि मनमाने रुप से प्रश्नगत आदेश को पारित किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता के अनुसार प्रश्नगत आदेश के यथावत रहने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे।

4. प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्ति–25 ख के माध्यम से यह अभिकथन किया गया कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत आदेश है। परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर योजित किया गया था। परिवाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अन्तर्गत निरस्त कर किसी प्रकार की कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। प्रत्यर्थीगण द्वारा पुनरीक्षण याचिका को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.08.2024 के माध्यम से परिवाद को निरस्त करते हुये यह अभिमत प्रस्तुत किया गया कि परिवादी एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के अभिकथन में विरोधाभाष है। अभियुक्तगण को आहूत किये जाने के सम्बन्ध में पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं है। इसी आदेश क्षुब्ध होते हुये यह पुनरीक्षण याचिका योजित की गयी है।

6. प्रस्तुत प्रकरण की पृष्ठभूमि संक्षेप में यह है कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादी केशव शुक्ला द्वारा सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का परिवाद योजित किया गया कि "...प्रार्थी केशव शुक्ला पुत्र देवबली शुक्ला निवासी फुलवरिया पोस्ट कोईरौना, थाना कोईरौना, जनपद- भदोही का निवासी है। प्रार्थी के गांव के रविन्द्र कुमार पाल की पत्नी विद्या देवी उर्फ सरस्वती देवी फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर शिक्षामित्र की नौकरी प्राप्त की थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर जांच कराया और जांच सही पाये जाने पर एफ.आई.आर. अंकित हुआ। उस प्रकरण में विद्या देवी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी व लिपिक व विद्यालय के हेड मास्टर व ग्राम सचिव एवं विद्या देवी की मामी (जिसके अंकपत्र के आधार पर सरस्वती देवी ने नौकरी किया) ये सभी धारा-*419, 420, 467, 468, 471* आई.पी.सी. के तहत अभियुक्त बनाये गये, विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित हुआ और मुकदमा वर्तमान समय में न्यायालय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही) के यहां विचाराधीन है।उसी मुकदमे

के सुलह का दबाव बनाने के लिये उक्त रविन्द्र पाल व उसके मेली मददगार उसी बिरादरी के श्यामबाबू पाल पुत्र हीरालाल पाल व शिवबाबू पाल जो श्यामबाबू का भाई है। इसके अलावा गुलाबधर पाल पुत्र स्व. राम अभिलाख पाल व राजमनि पुत्र धनपती जो सभी ग्राम फुलवरियां के है। प्रार्थी के ऊपर पंचायत करके दबाव बनाने लगे, किन्तु प्रार्थी उन लोगों के दबाव को इन्कार कर दिया। तब रविन्द्र पाल व श्यामबाबू पाल ने हम प्रार्थी को उक्त पंचायत में धमकी दिया कि यदि सुलह नहीं कर रहे हो तो तुम्हे बहुत भारी पड़ेगा और हम लोग भी मुकदमा करके तुम्हें फंसा देंगे। यह पंचायत दिनांक *04.06.2023* को रविवार के दिन हुआ था। उस पंचायत में अशोक शुक्ला पुत्र राजबली व अशोक शुक्ला का लड़का सौरभ शुक्ला जो ग्राम फुलवरिया के थे व अन्य मानिन्द व्यक्ति मौजूद थे। प्रार्थी उनकी बातों को उस समय गम्भीरता से नहीं लिया। इसलियत किसी भी पुलिस कर्मचारी के यहां कोई शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया। दिनांक *31.10.2023* को प्रार्थी अपने घर से अपनी पाही जो लगभग एक किलोमीटर दूर है। प्रार्थी आ रहा था रास्ते में रविन्द्र पाल व श्यामबाबू दोनो मिले। प्रार्थी के साथ प्रार्थी के गांव के उमाकान्त शुक्ला भी थे। हम तीनों लोग अकेलवा बीर, गोलखरा *(*कुढ़वा*)* के पास पहुंचे तो वहां पर दयाशंकर यादव अकेलवा बीर बाबा के स्थान पर बैठे थे, वे मिल गये। हम चारों लोग बात कर रहे थे, उसी समय रविन्द्र पाल व श्यामबाबू पाल वहीं पर आ गये। उस समय लगभग *10:00* बजे दिन का समय था। रविन्द्र पाल व श्यामबाबू पाल, प्रार्थी से कहे कि रविन्द्र की पत्नी जो मुकदमे में फंसाये हो सुलह तो नहीं किये, लेकिन तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर तुम्हें व तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। यदि अपनी बर्बादी से बचना चाहते हो *5,00,000/-* रू. पहुंचा दो। इस पर प्रार्थी ने कहा कि इतनी हिम्मत आप लोगो को हो गयी। इस पर उक्त रविन्द्र पाल व श्यामबाबू हम प्रार्थी को माधरचोद, भोषड़ी वाले आदि की भद्दी-भद्दी गांलिया देते हुये धमकी दिये कि फर्जी व गम्भीर मामले में फंसा कर जेल भेजेंगे। इस प्रकार विपक्षीगण श्यामबाबू व रविन्द्र पाल व गुलाबधर पाल व राजमनि व शिवबाबू ये सब लोग एक साजिश के तहत फर्जी मामले में फंसा कर जेल भेजने की धमकी देकर *5,00,000/-* रू. की मांग कर रहे है। इस प्रकार प्रार्थी को शासय भय में डाल कर अभियुक्तगण उद्यापन का अपराध कर रहे है। इसकी सूचना प्रार्थी थाना कोईरौना में जा कर तत्काल दिया किन्तु थाना कोईरौना की पुलिस प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार किया तब प्रार्थी पुलिस अधीक्षक महोदय को इस घटना की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दिया है।..."

7. परिवाद पर संज्ञान लेते हुये विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह अपने कथन के समर्थन में साक्षियों को परीक्षित कराये। परिवादी द्वारा द.प्र.सं. की धारा–200/202 के अन्तर्गत स्वयं के

अतिरिक्त दयाशंकर यादव एवं कमलेश कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया गया। जांचोपरांत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद को द.प्र.सं. की धारा–203 के अन्तर्गत निरस्त किया गया।

8. विद्वान विचारण न्यायालय के अनुसार अभियुक्तगण को केवल इस आधार पर विचारण हेतु आहूत नहीं किया जा सकता कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दो साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। प्रस्तुत मामले में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यह अभिमत प्रस्तुत किया गया है कि परिवादी एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों के परिसाक्ष्य में गंभीर रुप से विरोधाभाष है, जहां एक ओर परिवादी द्वारा अभियुक्तगण पर पांच लाख रुपये एवं झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। वहीं दूसरी ओर पी.डब्लू.–2 कमलेश कुमार द्वारा अपने परिसाक्ष्य में यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को फर्जी मुकदमें में फंसाने एवं सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

9. यह कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित रुप से उससे पांच लाख रुपये की मांग क्यों की गयी, जबकि परिवादी द्वारा पूर्व में ही अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है ? यह प्रथम दृष्टया स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है कि किसी मामले में अभियुक्त सुलह करने के लिये पांच लाख रुपये मांगे व सुलह के लिये पैसे की मांग सामान्यतः परिवादी द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों की कथित घटनास्थल पर उपस्थिति भी सिद्ध नहीं है। उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्होंने विवाद की दशा में क्या कार्य किया ? अगर अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी अथवा पांच लाख रुपये की मांग की गयी तो परिवादी एवं उनकी ओर से परीक्षित साक्षियों ने तत्काल पुलिस को सूचना देने का प्रयास क्यों नहीं किया ? आज के दौर में पुलिस को 100/112 नम्बर पर सूचना देना कोई दुष्कर कार्य नहीं है।

10. उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के दृष्टिगत उचित अभिमत प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किये जाने कोई कारण व आधार नहीं है। अतः विद्वान

विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में किसी भी प्रकार का कोई दोष होना प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–167/2024 निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.08.2024 की पुष्टि की जाती है।

12. पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 30.06.2026

(दुर्गेश)
ID:UP 1626
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर।

13. उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 30.06.2026

(दुर्गेश)
ID:UP 1626
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by DURGESH
Date: 2026.07.01 16:44:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court